न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 44/2024 तारीख रजू:— 26.04.2024

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	गजेन्द्र	पिसरान रामाधार	जाति धाकड निवासी हिण्डौन
2.	राकेश		
3.	रामसिंह		तहसील हिण्डौन जिला करौली
4.	राहुल		
5.	मु0 लक्ष्मी		
6.	मु0 सीतादेवी		
2.	महादेवी पत्नि रामाधार		——————— सायलान

बनाम

1. दिनेश पाराशर पुत्र बलभद्र पाराशर जाति ब्राहम्ण निवासी शीतला कोलोनी हिण्डौन
2. विजय कुमार पुत्र मनोहरी जाति महाजन निवासी भायलापुरा हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान

2. श्री प्यारेलाल पोहिया एडवोकेट गैरसायल सं01ता 3, 6

निर्णय

दिनांक :—23.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने इस सम्मानीय अदालत हाजा में गैर—सायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा बाबत इस्तकरार हक, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी—पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं. 3576/1 रकबा 17 एयर स्थित कस्बा हिण्डौन में सायलान के मृतक पिता रामाधार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

का 217/3060 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि सायलान को विरासत में अपने बुजुर्गान से प्राप्त हुई है। जिसका मौके पर सायलान एवं दावे के प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 13 के बीच बाहमी बंटवारा हो चुका है। जिसके चलते उक्त भूमि खसरा नम्बर 3576/1 सम्पूर्ण ही सायलान के हिस्से व कब्जा काश्त की आराजी रही है। रिकॉर्ड में दावे के प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 का नाम दर्ज अवश्य है, लेकिन उनके हिस्से पर सायलान ही बतौर खातेदार काश्तकार बजमाने बुजुर्गान से काबिज एवं दखील हैं। जिसका सायलान एवं दावे के प्रतिवादी सं. 3 ता 13 के बीच कोई विवाद नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजी ख. नं. 3576 का रकबा 47 एयर रहा है। लेकिन हिण्डौन बाईपास रोड निकलने के बाद उक्त भूमि में से 30 एयर रकबा हिण्डौन बाईपास रोड में राज्य सरकार द्वारा अवाप्त कर लिया गया एवं शेष बची भूमि का बटा नम्बर 3576/1 रकबा 17 एयर कायम कर दिया गया। लेकिन उक्त भूल ख. नं. 3576 रकबा 47 एयर स्थित कस्बा हिण्डौन को दौराने सेटिलमेन्ट साबिक ख. नं. 2256/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा स्थित कस्बा हिण्डौन से तरमीम किया गया है। सेटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा उक्त साबिक रिकॉर्ड 2 बीघा 3 बिस्वा के स्थान पर नवीन ख. नं. 3576 रकबा 47 एयर कायम कर दिया, जो कि साबिक के अनुसार 54 एयर होना चाहिए था। इस प्रकार सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा सायलान की भूमि का रकबा 7 एयर कम दर्शाया है, जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। जबकि मौके पर उक्त खसरा का 3576/1 का रकबा 17 एयर के स्थान पर 24 एयर मौजूद है। इस प्रकार सेटिलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान सेटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा की गई भूल को संशोधित फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाकया दिनांक 20.02.2024 को सायलान अपने हिस्से की सार–संभाल कर रहे थे कि गैरसायलान मौके पर आये एवं कहने लगे कि हमारा इस भूमि में नाम दर्ज है, इसलिए अब हम इस भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे। हम तुम्हें अब काश्त नहीं करने देंगे। जिस पर सायलान द्वारा आराजीयात का साबिक व नवीन रिकॉर्ड एकत्रित कर जानकारी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की, तो सेटिलमेन्ट कर्मचारियों की उक्त गलती का सायलान को पता चल पाया है। दावे के प्रतिवादी सं. 3 लगायत 13 को जब सायलान ने उक्त गलती के बारे में बताया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस जमीन से हमारा कोई वास्ता नहीं है, यह भूमि तुम्हारे हिस्से की है, आगे जो भी कार्यवाही करनी है तुम लोग अकेले ही करो। इसलिए दावा व संबंधित प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्म्स ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाये जाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राइमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी ख. नं. 3576/1 सम्पूर्ण सायलान के हिस्से व कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें, तथा जबरन कब्जा नहीं करें तथा ना ही किसी को रहन, वय करें तथा रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 22.05.2025 को गैरसायलान की ओर से श्री मुरारीलाल करसोलिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा एवं जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान के प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 1 में सायलान द्वारा गैर–सायलान के विरुद्ध एक कतई गलत एवं झूंठा दावा पेश करना स्वीकार है। जिसमें सायलान को सफलता का कोई चान्स नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 3576/1 रकबा 17 एयर कस्बा हिण्डौन में सायलान के मृतक पिता रामाधार का हिस्सा होना विवादित नहीं है, मगर यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि सायलान के पिता रामाधार ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2002 को विक्रय कर गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 का मौके पर कब्जा करवा दिया था तथा गैर–सायलान सं. 1 व 2 के नाम विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 28.09.2002 को नामांतरण संख्या 1874 खोला गया। तब से ही गैर–सायलान सं. 1 व 2 उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर फायदा उठा रहे हैं। सायलान का उक्त भूमि के मालिकाना हक से कोई हक हिस्सा व ताल्लुक नहीं रहा है। ना ही सायलान का इस मद में यह कथन करना भी गलत है कि मौके पर सायलान एवं मूल वाद के प्रतिवादी सं. 3 ता 13 हैं, जिसके चलते उक्त भूमि खसरा नम्बर 3576/1 सम्पूर्ण ही सायलान के हिस्से व कब्जा काश्त की आराजी रही हो तथा रिकॉर्ड में मूल वाद के प्रतिवादी सं. 3 ता 13 का नाम दर्ज हो तथा उनके हिस्से पर सायलान बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त हों। सायलान एवं मूल वाद के प्रतिवादी सं. 3 ता 13 के बीच कोई विवाद नहीं होने का सम्पूर्ण तथ्य इस मद में सायलान ने गलत अंकन कर दावा प्रतिवादी नम्बर 3 ता 13 से मिलीभगत कर प्रस्तुत किया है, जिसका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट करना भी अति आवश्यक है कि सायलान की जानकारी में सायलान के मृतक पिता रामाधार, मूल वाद के प्रतिवादी नम्बर 8 लगायत 10 एवं 13 तथा प्रतिवादी संख्या 11, 12 के पिता मुंशीराम एवं मूल वाद के प्रतिवादी सं. 3 ता 7 के पिता ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 3576/1 रकबा 24 एयर सम्पूर्ण गैर–सायलान को मौखिक रूप से विक्रय कर दी थी तथा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 को भौतिक कब्जा दे दिया था। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त भूमि में से कुछ भूमि राज्य सरकार द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी जिसके कारण उक्त भूमि में अवाप्ति के बाद बची रकबा 17 एयर का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2002 को सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त करना स्वीकार कर भूमि की वास्तविक भौतिक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कब्जा देते हुए उप–पंजीयक हिण्डौन सिटी के यहाँ पंजीबद्ध करवा दिया। जिसका पंजीयन दिनांक 13.08.2002 को हुआ। जिल्द संख्या 140, पृष्ठ संख्या 1817 में पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 169 के पृष्ठ संख्या 76 से 80 पर सायलान की जानकारी में पंजीबद्ध किया गया। तब से गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 उक्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार उपयोग–उपभोग कर फायदा उठा रहे हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना भी अति आवश्यक है कि उक्त भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के संबंध में गैर–सायलान सं. 1 द्वारा एक एस.बी. सिविल रिट संख्या 4380/2010 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी तथा दिनांक 14.10.2009 को जो अवार्ड पारित किया गया था, उसको निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया था। उक्त रिट याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2010 को प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा मानते हुए आदेश पारित कर भूमि से बेदखल नहीं करने बाबत आदेश पारित किया था। उपरोक्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि सायलान ने इस मद में गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 की भूमि हड़पने की नीयत से गलत तथ्य अंकित कर दावा प्रस्तुत किया है। यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि सायलान के पिता व मूल वाद के प्रतिवादी नम्बर 8 ता 10 एवं 13 तथा प्रतिवादी संख्या 11, 12 के पिता द्वारा की गई भूमि का विक्रय पत्र गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित नहीं करने की गरज से यह दावा व प्रार्थना–पत्र पेश किए हैं जो कि खारिज किए जाने योग्य हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 3 में वर्णित तथ्य आराजी खसरा नम्बर 3576 का रकबा 47 एयर होने तथा भूमि का 30 एयर रकबा हिण्डौन बाईपास के लिए राज्य सरकार द्वारा अवाप्त करने के संबंध में विवाद नहीं है। तथा दौराने सेटलमेंट रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के स्थान पर 47 एयर कायम करने तथा साबिक रिकॉर्ड के अनुसार 54 एयर होने के तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि सायलान के मृतक पिता व अन्य प्रतिवादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 3576/1 रकबा 24 एयर सम्पूर्ण को गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 को विक्रय कर दिया था

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

और मौके पर गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 का 24 एयर भूमि पर कब्जा है, तथा गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 सेटलमेंट के दौरान की गई गलती को दुरुस्त करवाने के अधिकारी हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 4 में वर्णित तथ्य गलत हैं, स्वीकार नहीं हैं। इस मद में सायलान का यह कथन गलत है कि दिनांक 20.02.2024 को सायलान अपने हिस्से की भूमि की सार–संभाल कर रहे हों तथा गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 मौके पर आये तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। ये सम्पूर्ण तथ्य सायलान ने इस मद में प्रतिवादी नं. 3 ता 13 से दुःसंधि कर अंकन किए हैं जिनका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि गैर–सायलान सं. 1 व 2 भूमि क्रय की दिनांक 01.08.2002 से भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर फायदा उठाते आ रहे हैं तथा सायलान की पूर्ण जानकारी में गैरसायल सं01 ने भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने गैरसायल सं01 का कब्जा 2010 में भूमि पर साबित माना था तथा दिनांक 28.09.2002 को गैरसायल सं. 1 व 2 के नाम विक्रय पत्र के आधार पर भूमि का नामांतरण संख्या 1874 खुल गया था। तब से आज तक राजस्व रिकॉर्ड में भी गैरसायल सं. 1 व 2 का नाम दर्ज है, जिसको सायलान ने या सायलान के पिता ने उनके जीवन काल में चुनौती नहीं दी है। करीब 25 साल बाद यह दावा व प्रार्थना–पत्र सायलान ने गलत तथ्य अंकन कर प्रस्तुत किया है जिसका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। जब सायलान का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तो सायलान के लिए वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं है। सायलान का प्रार्थना–पत्र व दावा खारिज किए जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 5 गलत है, अस्वीकार है। सायलान को कोई अपूरणीय क्षति नहीं है। गैरसायलान को कानूनन पाबंद नहीं किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 6 गलत है, अस्वीकार है। सायलान का कोई प्राइमा फेसी केस साबित नहीं है और सुविधा का संतुलन भी नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र में चाही गई रिलीफ से इन्कारी है।

उज्रात मजीद व काउंटर क्लेम :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं. 1 व 2 ने प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि सायलान के पिता स्व. रामाधार एवं मूल वाद के प्रतिवादी नं. 8 लगायत 10 एवं 13 तथा प्रतिवादी सं. 11, 12 के पिता मुंशीराम एवं प्रतिवादी 3 ता 7 के पूर्वज से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2002 को क्रय कर प्रतिफल की राशि अदा कर कब्जा प्राप्त किया जिसका विक्रय पत्र भी उप–पंजीयक हिण्डौन के यहाँ दिनांक 13.08.2002 को पंजीबद्ध हुआ। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण संख्या 1874 दिनांक 28. 09.2002 को गैरसायलान नम्बर 1 व 2 के नाम तस्दीक हुआ। तब से गैरसायलान नम्बर 1 व 2 उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर फायदा उठा रहे हैं तथा वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में गैरसायलान सं. 1 व 2 के नाम भूमि दर्ज है। सायलान एवं सायलान के पिता ने गैरसायलान सं. 1 व 2 के हक में खोले गए नामांतरण व विक्रय पत्र को पिछले 25 सालों से जानकारी होने के बाद भी चुनौती नहीं दी है क्योंकि सायलान को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी थी। सायलान को यह प्रार्थना–पत्र व दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही सायलान का विवादित भूमि पर कब्जा है। इसलिए दावा व प्रार्थना–पत्र हाजा बिना वाद कारण होने तथा मियाद बाहर होने से खारिज किए जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज कायम रहते दावा व प्रार्थना–पत्र हाजा करने का कोई अधिकार सायलान को नहीं है, इसलिए दावा व प्रार्थना–पत्र हाजा खारिज किए जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं. 1 ने भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही को राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट संख्या 4380/2010 में बतौर काबिज खातेदार काश्तकार चुनौती दी थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने गैरसायल सं. 1 का कब्जा साबित मानते हुए गैरसायल सं. 1 को बेदखल करने से पाबंद किया था। उक्त तथ्य की जानकारी सायलान को थी, मगर सायलान ने यह दावा व प्रार्थना–पत्र हाजा केवल मात्र गैरसायल सं. 1 व 2 को हैरान–परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया है जो कि खारिज किए जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि वर्तमान में गैरसायल सं. 1 विवादित भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज है। गैरसायल सं. 1 ने गैर–सायलान सं. 2 का हिस्सा जरिये इकरारनामा दिनांक 05.11.2005 को क्रय कर लिया है। इस प्रकार वर्तमान में गैरसायल सं. 1 भूमि का वास्तविक मालिक व स्वामी है, इसलिए प्रार्थना–पत्र हाजा व दावा पेश रफ्त नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि सायलान के पिता व अन्य प्रतिवादीगण ने अपनी सम्पूर्ण भूमि 24 एयर का विक्रय गैरसायल नम्बर 1 व 2 को कर दिया था, जिसमें से अवाप्ति की कार्यवाही के कारण केवल 17 एयर भूमि का विक्रय पत्र पंजीबद्ध हुआ, शेष 7 एयर भूमि का विक्रय इकरारनामा भी गैरसायलान नं. 1 व 2 के हक में निष्पादित कर रखा है। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि के गैरसायलान नं. 1 व 2 एकमात्र मालिक व स्वामी हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि गैर–सायलान नम्बर 1 व 2 को पूर्ण अधिकार है कि वह सेटलमेंट के दौरान हुई गलती को दुरुस्त करवा कर शेष हिस्से का राजस्व अंकन अपने नाम तस्दीक करवायें।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र सायलान मय हर्जा खारिज किया जावे, तथा सायलान एवं मूल वाद के प्रतिवादी सं. 3 ता

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

13 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि गैर–सायलान सं. 1 व 2 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी कारित नहीं की जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.08.2002 उनवानी उम्मेदसिंह, लोहडेराम, रामाधार, मुंशीराम पिसरान राधाकिशन, मु0 जानकी बेबा टुण्डाराम, हंसो, राधा पुत्रियॉ टुण्डाराम जाति धाकड निवासी झारेडा रोड हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली – विक्रेतागण प्रथमपक्ष बहक दिनेश पाराशर पुत्र श्री बलभद्र जाति ब्राहम्ण निवासी शीतला कोलोनी, शीतला मन्दिर के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन, विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री मनोहरलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी शीतला कोलोनी हिण्डौन – क्रेतागण द्वितीय पक्ष पेश किया हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने एवं गैरसायलान का काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3576/1 रकबा 0.17 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी उम्मेदसिंह पुत्र राधाकिशन हि0 217/3060 जाति धाकड सा0ग्राम खातेदार, जानकी पत्नि टुण्डाराम हि0 217/3060 जाति धाकड सा0ग्राम खातेदार, दिनेश पाराशर पुत्र वलभद्र हि0 123/680 जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार, राधा पुत्री टुण्डाराम हि0 217/3060 जाति धाकड सा0ग्राम खातेदार, रामाधार पुत्र राधाकिशन हि0 217/3060 जाति धाकड सा0ग्राम खातेदार, लोहडेराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

विक्रय पत्र उप पंजीयक हिण्डौन के द्वारा बाद जॉच दिनांक 13.08.2002 को फाईनल रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात के गैरसायलान मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार हैं। जिससे सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 3576/1 रकबा 0.17 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 26.04.2024 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/12/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)